

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नवाबगंज (गोण्डा), सीतापुर/महमूदाबाद(सीतापुर), सोरो (कासगंज), नजीबाबाद/हलदौर/कीरतपुर (बिजनौर), टुण्डला(फिरोजाबाद), बॉसी/सिद्धार्थनगर (सिद्धार्थनगर), पडरौना (कुशीनगर), महाराजगंज(महाराजगंज), मुबारकपुर (आजमगढ़), नानौता (सहारनपुर), एवं नवाबगंज (बाराबंकी)।  
(द्वारा जिलाधिकारी)

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 30 जनवरी, 2014

विशय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत कार्ययोजना/प्रस्ताव को सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार आपके निकाय के प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्राप्त हुए हैं, जो परिपक्व नहीं हैं तथा आवश्यक प्रमाण-पत्र भी संलग्न नहीं हैं। प्रस्ताव में उपलब्ध कार्यों का उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-14(1) से आच्छादित होना आवश्यक है तथा यह भी आवश्यक है कि प्रस्तावित कार्य पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि “नगरीय सड़क सुधार योजना” के अन्तर्गत प्रेषित प्रस्ताव/प्रस्तावों के सापेक्ष संलग्न सूची के स्तम्भ-4 में इंगित धनराशि की सीमा तक का प्रस्ताव सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाण-पत्र सहित कराकर शासन के विचारार्थ तीन दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रमाण पत्र का प्रारूप, जिस पर निकाय के अधिशाली अधिकारी/अध्यक्ष का हस्ताक्षर व मुहर आवश्यक है, निम्नवत है:-

“प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से वित्त पोषण में नगर विकास विभाग की संचालित नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा-14 से आच्छादित है तथा वर्ष 2013-14 की कार्ययोजना में प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है, न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित हैं।”

3. आगणन का गठन/प्रतिहस्ताक्षरित कराते समय निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय-

(1) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-2008, दिनांक 04 अप्रैल, 2008 की व्यवस्थानुसार ₹ 40.00 लाख तक के आगणनों का गठन विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराते हुए न्यूनतम अधिशाली अभियंता/समकक्ष स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए उपलब्ध करायी जाय। आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।

(2) नगरीय सड़क सुधार योजना के संबंध में शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 एवं शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संशोधित कार्ययोजना/प्रस्ताव सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात शासन को उपलब्ध करायी जाय। योजना के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

4. यदि शासन में प्रेषित आगणन सक्षम स्तर (न्यूनतम अधिशाली अभियन्ता/समकक्ष स्तर) के प्रतिहस्ताक्षरित हो तो निकाय के लिए इंगित सीमा तक के प्राथमिकता के कार्यों की सूची उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नक :यथोक्त (सूची)।

भगदीय,  
( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।

संख्या-561(1)/नौ-5-2013-44बजट/2014 तदुदिनांक

प्रतिलिपि सम्बन्धित जिलाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले निकाय को अपेक्षित प्रस्ताव/कार्य योजना समयबद्ध रूप से शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. स.	निकाय का नाम व जनपद	आगणन/प्रस्ताव में इंगित धनराशि	शासन में विचार किये जाने हेतु सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित आगणन/डीपीआर की धनराशि
1	2	3	4
1	नगर पालिका परिषद, नवाबगंज(गोण्डा)	39.96	25.00
2	नगर पालिका परिषद, सीतापुर	100.00	25.00
3	नगर पालिका परिषद, सीतापुर	100.00	25.00
4	नगर पालिका परिषद, महमूदाबाद (सीतापुर)	-	15.00
5	नगर पालिका परिषद, सोरों (कासगंज)	160.00	25.00
6	नगर पालिका परिषद, नजीबाबाद (बिजनौर)	179.07	20.00
7	नगर पालिका परिषद, हल्दौर (बिजनौर)	112.48	15.00
8	नगर पालिका परिषद, टुण्डला (फिरोजाबाद)	377.12	20.00
9	नगर पालिका परिषद, बांसी (सिद्धार्थनगर)	151.00	20.00
10	नगर पालिका परिषद, बांसी (सिद्धार्थनगर)	300.00	20.00
11	नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर	300.00	25.00
12	नगर पालिका परिषद, सिद्धार्थनगर	-	20.00
13	नगर पालिका परिषद, पड़रौना (कुशीनगर)	90.57	40.00
14	नगर पालिका परिषद, महाराजगंज (महाराजगंज)	51.28	40.00
15	नगर पालिका परिषद, महाराजगंज (महाराजगंज)	--	40.00
16	नगर पालिका परिषद, मुबारकपुर (आजमगढ़)	-	30.00
17	नगर पालिका परिषद, ननौता (सहारनपुर)	210.00	20.00
18	नगर पालिका परिषद, कीरतपुर (बिजनौर)	146.62	20.00
19	नगर पालिका परिषद, नवाबगंज (बाराबंकी)	117.74	40.00

(उमा शंकर सिंह)  
उप सचिव।



प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी, नगर पंचायत, नई बाजार (संतरविदास नगर), सिराथू (कौशाम्बी), अदरी/मोहम्मदाबाद गोहना(मऊ), भोकरहेड़ी(मुजफ्फरनगर), परीक्षितगढ़(मेरठ), डेरापुर(कानपुर देहात), सिकन्दरपुर (बलिया), गवां(संभल), जलालाबाद(बिजनौर), उस्का बाजार(सिद्धार्थनगर), एलम (शामली), अमीनगर सराय (बागपत), दिलदारनगर/सादात/जंगीपुर (गाजीपुर), बुगरासी (बुलन्दशहर), सहजनवां (गोरखपुर), नगराम (लखनऊ), हैदराबाद (उन्नाव), कुण्डा (प्रतापगढ़), खरगूपुर (गोण्डा), सिद्धपुरा/पटियाली/मोहनपुर/बिलराम (कासगंज), राजा का रामपुर (एटा), पैतेपुर (सीतापुर), भोजपुर धर्मपुर (मुरादाबाद), फरह(मथुरा), सिस्ौली(मुजफ्फरनगर), लालगोपालगंज/मऊआइमा(इलाहाबाद), उस्का बाजार/डुमरियागंज(सिद्धार्थनगर), कोटरा(जालौन), पश्चिमी(बरेली), आनन्दनगर (महराजगंज), हरिहरपुर/मगहर(संतकबीरनगर), अतरौलिया/कटघर लालगंज (आजमगढ़), सुबेहा (बाराबंकी), बेसवां/इगलास(अलीगढ़) एवं कोइरीपुर (सुलतानपुर)

(द्वारा जिलाधिकारी)।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक 30 जनवरी, 2014

विशय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत कार्ययोजना/प्रस्ताव को सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार आपके निकाय के प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्राप्त हुए हैं, जो परिपक्व नहीं हैं तथा आवश्यक प्रमाण-पत्र भी संलग्न नहीं हैं। प्रस्ताव में उपलब्ध कार्यों का उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-14 (1) से आच्छादित होना आवश्यक है तथा यह भी आवश्यक है कि प्रस्तावित कार्य पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि “नगरीय सड़क सुधार योजना” के अन्तर्गत प्रेषित प्रस्ताव/प्रस्तावों के सापेक्ष संलग्न सूची के स्तम्भ-4 में इंगित धनराशि की सीमा तक का प्रस्ताव सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रमाण-पत्र सहित कराकर शासन के विचारार्थ तीन दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रमाण पत्र का प्रारूप, जिस पर निकाय के अधिकासी अधिकारी/अध्यक्ष का हस्ताक्षर व मुहर आवश्यक है, निम्नवत है:-

“प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से वित्त पोषण में नगर विकास विभाग की संचालित नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2007 की धारा-14 से आच्छादित है तथा वर्ष 2013-14 की कार्ययोजना में प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है, न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित है।”

3. आगणन का गठन/प्रतिहस्ताक्षरित कराते समय निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाय-

- (1) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-2008, दिनांक 04 अप्रैल, 2008 की व्यवस्थानुसार ₹ 40.00 लाख तक के आगणनों का गठन विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराते हुए न्यूनतम अधिकासी अभियंता/समकक्ष स्तर से परीक्षणोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए उपलब्ध करायी जाय। आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।
- (2) नगरीय सड़क सुधार योजना के संबंध में शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 एवं शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप संशोधित कार्ययोजना/प्रस्ताव सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात शासन को उपलब्ध करायी जाय। योजना के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

4. यदि शासन में प्रेषित आगणन सक्षम स्तर (न्यूनतम अधिकासी अभियंता/समकक्ष स्तर) के प्रतिहस्ताक्षरित हो तो निकाय के लिए इंगित सीमा तक के प्राथमिकता के कार्यों की सूची उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नक : यथोक्त (सूची)।

भवदीय,

( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।

संख्या-560(1)/नौ-5-2014-43बजट/2014 तदुदिनांक

प्रतिलिपि सम्बन्धित जिलाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले निकाय को अपेक्षित प्रस्ताव/कार्य योजना समयबद्ध रूप से शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।

शासनादेश संख्या-560/नो-5-2014-43बजट/2014, दिनांक 30 जनवरी, 2014 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.स.	निकाय का नाम व जनपद	आगणन/ प्रस्ताव में इंगित धनराशि	शासन में विचार किये जाने हेतु सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित आगणन/ डीपीआर की धनराशि
1	2	3	4
1	नगर पंचायत, नई बाजार (संतरविदासनगर)	100.95	40.00
2	नगर पंचायत, सिराथू (कौशाम्बी)	98.61	20.00
3	नगर पंचायत, अदरी (मऊ)	185.02	40.00
4	नगर पंचायत, अदरी (मऊ)	187.92	30.00
5	नगर पंचायत, मोहम्मदाबाद गोहना (मऊ)	-	30.00
6	नगर पंचायत, अदरी (मऊ)	289.46	30.00
7	नगर पंचायत, भोकरहेड़ी (मुजफ्फरनगर)	208.20	30.00
8	नगर पंचायत, भोकरहेड़ी (मुजफ्फरनगर)	208.20	30.00
9	नगर पंचायत, भोकरहेड़ी (मुजफ्फरनगर)	175.00	30.00
10	नगर पंचायत, परीक्षितगढ़ (मेरठ)	61.59	40.00
11	नगर पंचायत, डेरापुर (कानपुर देहात)	131.87	30.00
12	नगर पंचायत, सिकन्दरपुर (बलिया)	150.00	40.00
13	नगर पंचायत, सिकन्दरपुर (बलिया)	152.79	40.00
14	नगर पंचायत, गवां (सम्भल)	84.00	50.00
15	नगर पंचायत, जलालाबाद (बिजनौर)	200.21	30.00
16	नगर पंचायत, जलालाबाद (बिजनौर)	200.21	30.00
17	नगर पंचायत, जलालाबाद (बिजनौर)	200.21	30.00
18	नगर पंचायत, उस्का बाजार (सिद्धार्थनगर)	89.76	30.00
19	नगर पंचायत, उस्का बाजार (सिद्धार्थनगर)	79.29	30.00
20	नगर पंचायत, एलम (शामली)	105.97	30.00
21	नगर पंचायत, अमीनगरसराय (बागपत)	90.00	30.00
22	नगर पंचायत, दिलदारनगर(गाजीपुर)	108.16	30.00
23	नगर पंचायत, सैदपुर (गाजीपुर)	111.50	30.00
24	नगर पंचायत, सादात (गाजीपुर)	267.60	30.00
25	नगर पंचायत, जंगीपुर (गाजीपुर)	58.00	30.00
26	नगर पंचायत, बुगरासी (बुलन्दशहर)	233.50	30.00
27	नगर पंचायत, सहजनवां (गोरखपुर)	55.20	30.00
28	नगर पंचायत, नगराम (लखनऊ)	64.31	30.00
29	नगर पंचायत, हैदराबाद (उन्नाव)	93.85	30.00
30	नगर पंचायत, कुण्डा (प्रतापगढ़)	318.00	50.00
31	नगर पंचायत, खरगूपुर (गोण्डा)	69.22	30.00
32	नगर पंचायत, सिद्धपुरा (कासगंज)	112.47	30.00
33	नगर पंचायत, पटियाली (कासगंज)	96.80	30.00
34	नगर पंचायत, मोहनपुर (कासगंज)	43.37	30.00
35	नगर पंचायत, बिलराम (कासगंज)	60.00	30.00
36	नगर पंचायत, राजा का रामपुर (एटा)	77.34	30.00
37	नगर पंचायत, पैतेपुर (सीतापुर)	-	30.00
38	नगर पंचायत, भोजपुर धर्मपुर (मुरादाबाद)	90.49	30.00
39	नगर पंचायत, फरह (मथुरा)	100.00	30.00
40	नगर पंचायत, सिसौली (मुजफ्फरनगर)	200.00	40.00
41	नगर पंचायत, लालगोपालगंज (इलाहाबाद)	-	40.00
42	नगर पंचायत, मऊआइमा (इलाहाबाद)	143.73	40.00
43	नगर पंचायत, उस्का बाजार (सिद्धार्थनगर)	140.00	30.00
44	नगर पंचायत, उस्का बाजार (सिद्धार्थनगर)	-	30.00
45	नगर पंचायत, उस्का बाजार (सिद्धार्थनगर)	100.00	30.00
46	नगर पंचायत, डुमरियागंज (सिद्धार्थनगर)	-	30.00



47	नगर पंचायत, कोटरा (जालौन)	120.00	30.00
48	नगर पंचायत, हरिहरपुर (संतकबीरनगर)	120.00	40.00
49	नगर पंचायत, पश्चिमी (बरेली)	142.86	30.00
50	नगर पंचायत, आनन्दनगर (महराजगंज)	100.00	30.00
51	नगर पंचायत, आनन्दनगर (महराजगंज)	100.00	30.00
52	नगर पंचायत, हरिहरपुर (संतकबीरनगर)	213.43	30.00
53	नगर पंचायत, अदरी (मऊ)	185.02	30.00
54	नगर पंचायत, अदरी (मऊ)	187.92	30.00
55	नगर पंचायत, हरिहरपुर (संतकबीरनगर)	158.89	30.00
56	नगर पंचायत, हरिहरपुर (संतकबीरनगर)	118.80	30.00
57	नगर पंचायत, मगहर (संतकबीरनगर)	131.00	20.00
58	नगर पंचायत, अतरौलिया (आजमगढ़)	-	30.00
59	नगर पंचायत, कटघर लालगंज (आजमगढ़)	53.66	30.00
60	नगर पंचायत, सुबेहा (बाराबंकी)	190.00	30.00
61	नगर पंचायत, बेसवां (अलीगढ़)	77.36	30.00
62	नगर पंचायत, इगलास (अलीगढ़)	80.00	30.00
63	नगर पंचायत, कोइरीपुर (सुल्तानपुर)	194.00	30.00

( उमा शंकर सिंह )  
उप सचिव।